

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.25(2)चि.स्वा./ग्रुप-2/2018

जयपुर, दिनांक : 01.05.18

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,

राजस्थान, जयपुर।

विषय:—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर, पंचायत समिति, बालोतरा जिला बाडमेर के नामकरण की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर, पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर का नामकरण " संत श्री राजाराम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर, पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर " किये जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यक्षीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- 1- पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर (वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर) पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर का भवन दानदाता श्री जगाराम द्वारा दी गई भूमि का दान विलेख चिकित्सा विभाग को नियमानुसार सुपुर्द करवाया जाकर मूल पत्रादि प्रस्तुत किये जावे।
- 2- पूर्व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर (वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर) पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर का भविष्य में स्वामित्व राज्य सरकार का ही रहेगा।
- 4- अस्पताल का संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का ही रहेगा।
- 5- Rules Regarding acceptance of Donation and Charities from private individuals of public Bodies for Medical Purpose के नियमों की पालना सुनिश्चित करावें।
- 6- अस्पताल की भूमि एवं निर्मित भवन का रजिस्ट्रेशन उप पंजीयन कार्यालय में नियमानुसार दर्ज करवाकर विभाग को समस्त मूल दस्तावेज सहित सुपुर्द किया जायेगा।

भवदीय,

शासन उप सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जोधपुर।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर।
8. एकल पत्रावली डी-416 दिनांक :-17.04.18
9. रक्षित पत्रावली

वरिष्ठ लेखाधिकारी

2/12/2018


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:एफ-90/नामाकरण/योजना/विकास/2018/490

दिनांक:- 07/5/18

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित/प्रशासन), मुख्यालय।
2. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
3. मुख्य अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मुख्यालय।
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाडमेर को भेजकर लेख है कि स्वीकृति के बिन्दु संख्या 1 एवं 6 के संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर।
7. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पंचायत समिति बालोतरा जिला बाडमेर।
8. प्रभाषी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस स्वीकृति को विभागीय वैबसाईट एवं संबंधित की मेल आई.डी. पर अपलोड करने हेतु।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (योजना)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर